किस्म मुकदमा ..... नं0 80/11 सन् 2017
13.11.17

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
13/11/17	प्रार्थी लैण्ड रेकर्ड उपस्थित। कार्यवाही रिपोर्ट का अवलोकन किया गया। प्रारम्भ पर अभिलेख विचार लाया जाकर मामला ग्रा०प्रा० नं. 2 के अधिकारी को आगे नोटिस तलब किया जाकर पुनः पत्रावली दिनांक 16/11/17 को पेश हो। उपखण्ड अधिकारी करौली	
16/11/17	प्रार्थी लैण्ड रेकर्ड उपस्थित। पत्रावली कारण जवाब दिनांक 17/11/17 को पेश हो। उपखण्ड अधिकारी करौली	
17/11/17	प्रार्थी लैण्ड रेकर्ड उपस्थित। ग्रा०प्रा० की ओर से जवाब पेश किया। पक्ष उभयपक्ष का सुनी गई। पत्रावली का अवलोकन किया गया। विवादित आराजी में से ख.नं. 4830 रकबा 4 बिस्वा में से चार बिस्वा भूमि दिनांक 26/8/11 को RUIDP. के कियान्वयन कार्य हेतु अवाप्त कर सैनिक फार्म कीरोड प्रबन्धन के लिये आवंटित किया जा चुका है। उक्त संबंध आदेश की नकल चुकि मांगी गई थी। माननीय राजस्व अपील प्राधिकारी द्वारा अपील को अस्वीकार प्रस्तुत की थी जो दिनांक 23/8/14 को निरस्त की जा चुकी थी। अतः संबंध अधिकारी

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
	दिनांक 28/8/11 के सम्बन्ध में वादग्रस्त सम्पत्ति मेरा विचार कोई स्थायी निषेधाज्ञा पारित करने का अधिकारी नहीं है। म.प्र.ल.रा.नि.1959 धारा 10 विरुद्ध कलेक्टर कोर्ट की दर्ज नक्शे दिनांक 5/9/17 को पारित स्थायी निषेधाज्ञा निरस्त किया जाता है। शेष मोहरा दिनांक 5/9/17 कायम रहेगा। मामले में वादग्रस्त भूमि के मूल प्रायमा मु.नं. 100/14 के अंतर्गत रहे। उपखण्ड अधिकारी करौली	